

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०सं०/ब०शि०/सेवा-२(१)/ ५६ / स्थानान्तरण/ २०१८-१९ दिनांक २५/०६/१८

स्थानान्तरण आदेशः

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार सुगम में अधिकतम अवधि वर्तीत करने वाले कार्मिकों में से शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम रीता 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निन राठप्राप्ति० में कार्यरत शिक्षकों के सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राधिकृता के कम में दिये विकल्प के आधार पर अथवा 17(1)(क) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत रित पद पर अनिवार्य स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	श्रीमती कुन्ती देवी	प्र०आ०	राठप्राप्ति० फागपुर, चम्पावत	सुगम	राठप्राप्ति० कायल, लोहाघाट	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती रजनी दर्मा	प्र०आ०	राठप्राप्ति० मल्लाढ़ी, लोहाघाट	सुगम	राठप्राप्ति० नंटा, लोहाघाट	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
03	डॉ लक्ष्मी गहलोडी	प्र०आ०	राठप्राप्ति० पुड़ियानी, चम्पावत	सुगम	राठप्राप्ति० अमकड़िया, चम्पावत	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

01— संबंधित संरथान के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय समिक्षी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बंधित अधिकारी के रत्तर पर अनुशासनीय माना जायेगा।

02—स्थानान्तरित कार्मिकों को किरी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।

03—स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण शोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधित रो प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बंधित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अकेत किया जायेगा।

अलौ

05—स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

06—उपरोक्त कार्मिकों द्वारा अधिनियम के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा 7(ग) के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(सत्य नारायण)

पुस्तक - १२४-१५ / २७८-१९ तदृदीपांचल जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रादिशिका)
चम्पावत।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

01:—निदेशक, (प्रादिशिका) उत्तराखण्ड देहरादून।

02:—अपर शिक्षा निदेशक, (प्रादिशिका) कुमौर मण्डल नैनीताल।

03:—जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।

04:—मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।

05:—वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।

06:—मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।

07:—जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।

08:—समरत उप शिक्षा अधिकारी जनपद— चम्पावत।

09:—सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।

10:—सम्बन्धित कर्मचारी।

11:—कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

१८/२५/०१४
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रादिशिका)
चम्पावत।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०सं०/बे०शि०/सेवा-२(१)/ ६७ /स्थानान्तरण/ २०१८-१९ दिनांक २५/५/१८

:रथानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न राप्राप्रविवि० में कार्यरत शिक्षकों के गम्भीर रोग/विकलांग कार्मिकों के अनुरोध स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्रारम्भिकता के कम में दिये विकल्प के आधार पर रिक्त पद पर अनुरोध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	अशोक सिंह	स०अ०	राप्राप्रविवि० ढरौज, पाठी	दुर्गम	राप्राप्रविवि० खेतीखान, पाठी	सुगम	रिक्त पद के प्रति

01— संबंधित संरथान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती रथल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बंधित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03—स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती रथल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बंधित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05—स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती रथान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्राप्रविवि०)
चम्पावत।

पुस्तक - १२९६-१३०७ / २०१८-१९ तदूनि-संचित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:- निदेशक, (प्रा०शि०) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:- अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा०शि०) कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:- जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:- वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:- समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद— चम्पावत।
- 09:- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०सं०/बे०शि०/सेवा-२(१)/ ५८ /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक २५/०६/१९

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न राठ्रोविंग में कार्यरत शिक्षकों के उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी कार्मिकों के अनुरोध स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर रिक्त पद पर अनुरोध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	रीता अधिकारी	प्र०अ०	राठ्रोविंग चमदेवल,लोहाघाट	सुगम	राठ्रोविंग ढोरजा, लोहाघाट	सुगम	रिक्त पद के प्रति

01— संबंधित संरथान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिए के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती रथल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के रत्त पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03—स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती रथल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05—स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती रथान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पुस्तक - १३०८-१८ / २०८-१९ तात्पूर्ण

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01:- निदेशक, (प्राऊष्ठ) उत्तराखण्ड देहरादून।

02:- अपर शिक्षा निदेशक, (प्राऊष्ठ) कुमौर मण्डल नैनीताल।

03:- जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।

04:- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।

05:- वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।

06:- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।

07:- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।

08:- समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद— चम्पावत।

09:- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।

10:- सम्बन्धित कर्मचारी।

11:- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्राऊष्ठ)
चम्पावत

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०सं०/वै०शि०/रोवा-२(१)/ ५७ /रथानान्तरण/ २०१८-१९ दिनांक २५/०६/१८

रथानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित रथानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शासन के पत्र संख्या 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार रथानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न राठोपाठी में कार्यरत शिक्षकों के दुर्गम से दुर्गम अनुरोध रथानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्रारम्भिकता के कम में दिये विकल्प के आधार पर रिक्त पद पर अनुरोध रथानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न प्रकार रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	रथानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	राविन्द्र सिंह	प्र०अ०	राठोपाठी दुगरासौ पाटी	दुर्गम	राठोपाठी बुंगाबीड़, पाटी	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

01— संबंधित संरथान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई रामय सारिणी के अनुसार रथानान्तरण आदेश निर्धारित होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक रथानान्तरण आदेश निर्धारित होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती रथल में कार्यभारप्राप्ति करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बंधित अधिकारी के रतर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।

03—रथानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती रथल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिये अपने माता—पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तौरे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवित्रगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रारित न करते हुये सम्बंधित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05—रथानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती रथान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पुस्तक - १३१९-२९ / २०१४-१५ अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:- निदेशक, (प्रांशि०) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:- अपर शिक्षा निदेशक, (प्रांशि०) कुमौर मण्डल नैनीताल।
- 03:- जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:- वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:- सगरता उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रांशि०)
चम्पावत।

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०सं०/ब०शि०/रोगा-२(१)/ ६० / रथानान्तरण/ २०१८-१९ दिनांक २५/०६/१४

रथानान्तरण आदेशः

शासन द्वारा अधिसूचित रथानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार दुर्गम में अधिकतम अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिकों में से शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार रथानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न राठोपाठी में कार्यरत शिक्षकों के दुर्गम से सुगम अनिवार्य रथानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्रार्थिता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर अथवा 17(1)(ग) में दी गई व्यवरथा के अन्तर्गत रिक्त पद पर अनिवार्य रथानान्तरण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निम्न प्रकार रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	रथानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	अजुन नाथ गोस्वामी	प्र०आ०	राठोपाठी देवराडी, बाराकोट	दुर्गम	राठोपाठी नाकोट, लोहाघाट	सुगम	रिक्त पद के प्रति
02	सुरेश चन्द्र जोशी	प्र०आ०	राठोपाठी खायाछीन, पाटी	दुर्गम	राठोपाठी उचौलीगढ़, चम्पावत	सुगम	रिक्त पद के प्रति

01— संबंधित संरथान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार रथानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक रथानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती रथल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बंधित अधिकारी के रत्न पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03—रथानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती रथल पर संपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा रथानान्तरण रोकूने के लिये अपने माता-पिता/पत्नी अथवा अन्य राम्भित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बंधित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अकिञ्चित किया जायेगा।

05—रथानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती रथान से ही आहरित किया जायेगा।

(रात्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पुस्तक - 1330 - 40 / २०१४-१५ अक्टूबर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:- निदेशक, (प्रार्थी) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:- अपर शिक्षा निदेशक, (प्रार्थी) कुमौर मण्डल नैनीताल।
- 03:- जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:- वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:- समरत उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रार्थी)
चम्पावत

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०सं०/ब०शि०/से०-२(१)/६। / रथानान्तरण/ २०१८-१९ दिनांक २५/५/१८

रथानान्तरण आदेशः

शासन द्वारा अधिसूचित रथानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार सुगम में अधिकतम अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिकों में से शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार रथानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम रीपा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न राठ०प्रा०वि० में कार्यरत शिक्षकों के सुगम से दुर्गम अनिवार्य रथानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्रारम्भिकता के कम में दिये विकल्प के आधार पर अथवा 17(1)(क) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत रिक्त पद पर अनिवार्य रथानान्तरण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निम्न प्रकार रथानान्तरित किया जाता हैः—

क० सं०	नम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	रथानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
०१	सुचिता सिंह	स०३०	राठ०प्रा०वि० सैलानीगोठ, चम्पावत	सुगम	राठ०प्रा०वि० पासम्, लोहाघाट	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

०१— संबंधित संरथान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार रथानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०७ दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक रथानान्तरण आदेश निर्गत होने के १० दिन के अन्दर प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती रूप में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

०२—रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।

०३—रथानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती रूप पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

०४—यदि रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिये अपने माता—पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवित्तगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अंग्रेजी सारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

०५—रथानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती रथान से ही आहरित किया जायेगा।

०६—उपरोक्त कार्मिकों द्वारा अधिनियम के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर पुनः सुगम क्षेत्र में रथानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा 7(ग) के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पुस्तक - 1341-51 / 2018-19 तद्रिपालि

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:- निदेशक, (प्रांशि०) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:- अपर शिक्षा निदेशक, (प्रांशि०) कुमौर मण्डल नैनीताल।
- 03:- जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:- वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:- समर्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

25/6/18
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रांशि०)
चम्पावत ॥

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०रा०/ब०शि०/सोवा-२(१)/ ६२ /स्थानान्तरण/ २०१८-१९ दिनांक २५/०६/१८

स्थानान्तरण आदेशः

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शासन के पत्र संख्या 140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न राज०प्रा०वि० में कार्यरत शिक्षकों के उल्लंगणण सरकार की सोवा में कार्यरत पति-पत्नी कार्मिकों के अनुरोध स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्रारम्भिकता के कम में दिये विकल्प के आधार पर रिक्त पद पर अनुरोध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है—

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	गंगाधर आर्या	स०अ०	राज०प्रा०वि० बुडम, चम्पावत	दुर्गम	राज०प्रा०वि० कठौल, चम्पावत	दुर्गम	रिक्त पद के पति

01—संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत वी गई रामग सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्मित होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्मित होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिरक्षणी वी प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती रथल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के रत्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।

03—स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं त्वे उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अकित किया जायेगा।

05—स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(रात्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

[Signature]

पुस्तक-1352-62/2018-19 तदीयांशि

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01:-निदेशक, (प्राऋिं) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्राऋिं) कुमौर मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी;
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

५१२३६१७
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्राऋिं)
चम्पावत

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०सं०/व०शि०/संग-२(१)/ ६३ / स्थानान्तरण/ 2018-19 दिनांक २५/८/१८

स्थानान्तरण आदेशः

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार दुर्गम में अधिकतम अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिकों में से शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न राज०प्रा०वि० में कार्यरत शिक्षकों के दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के कम में दिये विकल्प के आधार पर अथवा १७(१)(ग) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत रिक्त पद पर अनिवार्य स्थानान्तरण अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता हैः—

क० सं०	नम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	जीवन चन्द्र जोशी	स०आ०	रा०उ०प्रा०वि० ईजड़ा-डुंगरा, पाटी	दुर्गम	रा०उ०प्रा०वि० डसियाचापी, पाटी	सुगम	रिक्त पद के प्रति

01— संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्ति करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बंधित अधिकारी के रुत्र पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।

03—स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण शेकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बंधित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05—स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पुस्तकालय - 1363 - 73 / २०१४ - १९ तात्कालिक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01:- निदेशक, (प्रार्थित) उत्तराखण्ड देहरादून।

02:- अपर शिक्षा निदेशक, (प्रार्थित) कुमौर मण्डल नैनीताल।

03:- जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।

04:- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।

05:- वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।

06:- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।

07:- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।

08:- समर्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।

09:- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।

10:- सम्बन्धित कर्मचारी।

11:- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रार्थित)
चम्पावत १०/२५/६/१४

पुस्तक - १३७४-४६ / २०१८-१९ राजस्थान कार्यालय

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 01:-निदेशक, (प्रार्थी) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रार्थी) कुमौर मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद— चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रार्थी)
चम्पावत

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०प्रा०/ब०शि०/सेवा-२(१)/ ६४ / स्थानान्तरण/ 2018-19 दिनांक २५/०८/१८

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार रा०प्रा०वि० में कार्ररत स०अ० के अनुसोध के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	प्रकाश चन्द्र	स०अ०	रा०प्रा०वि० सिल्योडीगूठ, पाटी	दुर्गम	रा०प्रा०वि० कार्कीछाना, पाटी	दुर्गम	पारस्परिता के आधार पर
	मनोज नाथ महन्त	स०अ०	रा०प्रा०वि० कार्कीछाना, पाटी	दुर्गम	रा०प्रा०वि० सिल्योडीगूठ, पाटी	दुर्गम	
02	कविता मेहता	स०अ०	रा०प्रा०वि० कलीगाँव, लोहाघाट	सुगम	रा०प्रा०वि० बडोली, लोहाघाट	दुर्गम	पारस्परिता के आधार पर
	शिंगा पाठक	स०अ०	रा०प्रा०वि० बडोली, लोहाघाट	दुर्गम	रा०प्रा०वि० कलीगाँव, लोहाघाट	सुगम	

01— संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बंधित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—स्थानान्तरित कार्मिकों को किरी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03—स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बंधित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05—स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावतः

आ०सं०/ब०शि०/सेवा-२(१)/६५ /रथानान्तरण/२०१८-१९ दिनांक २५/८/१८

रथानान्तरण आदेशः

शासन द्वारा अधिसूचित रथानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शा०प्रा०वि० में कार्यरत प्र०अ० के अनुरोध के आधार पर पारस्परिक रथानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर रथानान्तरण अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत निम्न प्रकार रथानान्तरित किया जाता हैः-

क्र० सं०	नम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय / विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	रथानान्तरित विद्यालय का नाम / विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	पंकज लता वर्मा	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० गंगनौला, लोहाघाट	सुगम	रा०प्रा०वि० पौखरीबोरा, लोहाघाट	दुर्गम	पारस्परिता के आधार पर
	दीप चन्द्र जोशी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० पौखरीबोरा, लोहाघाट	दुर्गम	रा०प्रा०वि० गंगनौला, लोहाघाट	सुगम	
02	शिव नाथ गोरवामी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० बलाना, लोहाघाट	दुर्गम	रा०प्रा०वि० कर्नेडी, लोहाघाट	सुगम	पारस्परिता के आधार पर
	नवीन लाल वर्मा	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कर्नेडी, लोहाघाट	सुगम	रा०प्रा०वि० बलाना, लोहाघाट	दुर्गम	

01— संबंधित संरथान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार रथानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक रथानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती रथल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बंधित अधिकारी के रतर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।

03—रथानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती रथल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तैं-उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित न करते हुये सम्बंधित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अकित किया जायेगा।

05—रथानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती रथान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पृष्ठा - १३४५ - १५ / २०१८-१९ तदीयांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:- निवेशक, (प्राइवेट) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:- अपर शिक्षा निवेशक, (प्राइवेट) कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:- जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:- वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:- समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्राइवेट)
चम्पावत

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ०सं०/बे०शि०/सेवा-२(१)/ ६६ /स्थानान्तरण/ २०१८-१९ दिनांक २५/८/१८

स्थानान्तरण आदेशः

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार रा०उ०प्रा०वि० में कार्यरत स०आ० के अनुरोध के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18(३) के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है—

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	जगदीश चन्द्र	स०आ०	रा०उ०प्रा०वि० धूरा, चम्पावत	दुर्गम	रा०उ०प्रा०वि० सैलानीगोठ, चम्पावत	सुगम	पारस्परिता के आधार पर
	जीवन सिंह	स०आ०	रा०उ०प्रा०वि० सैलानीगोठ, चम्पावत	सुगम	रा०उ०प्रा०वि० धूरा, चम्पावत	दुर्गम	

01— संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिरक्षा की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती रथल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बंधित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02—स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03—स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती रथल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04—यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता—पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य राम्भित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बंधित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05—स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पुस्तक - १३९६-१४०६ / २०१८-१९ अक्टूबर

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रार्थी) उत्तराखण्ड वेहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रार्थी) कुमौरू मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासाखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समरत उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रार्थी)
चम्पावत